## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

## पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

| क0सं0 | पूर्व पत्रावली सं0 | दर्ज दिनांक | वर्तमान पत्रावली सं0 | दर्ज दिनांक | निर्णय दिनांक | कुल पृष्ठ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/2023 | 31.08.2023 | 09/25 (2025/09) | 15.01.2025 | 29.01.2026 | 1 लगायत 4 |

1 रामजीलाल आयु 68 साल पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी ग्राम भावड़ तहसील बामनवास।
2 श्यामलाल आयु 54 साल पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी ग्राम भावड़ तहसील बामनवास।
3 कमलेश आयु 44 साल पुत्र मोडू जाति मीना निवासी ग्राम भावड़ तहसील बामनवास।
4 जगमोहन आयु 41 साल पुत्र मोडू जाति मीना निवासी ग्राम भावड़ तहसील बामनवास।
5 पति आयु 43 साल पुत्री मोडू जाति मीना निवासी ग्राम भावड़ तहसील बामनवास।
6 मनुबाई आयु 37 साल पुत्री मोडू जाति मीना निवासी ग्राम भावड़ तहसील बामनवास।

––– अपीलार्थी

बनाम

1. भन्ती देवी पत्नि पप्पूलाल आयु 45 साल जाति माली निवासी वार्ड नं0 6 मिर्जापुर गंगापुर सिटी।
2. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील बरनाला जिला गंगापुर सिटी। – रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री हर्षवर्धन शर्मा

रेस्पोडेन्ट की ओर से :–विद्वान अभिभाषक श्री भानू कुमार सिंघल

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील तहसील बरनाला के नामान्तकरण सं0 1504 दिनांक 09.06.2023 वाके ग्राम बाटोदा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 1504 दिनांक 09.06.2023 द्वारा ग्राम बाटोदा में स्थित भूमि ख0नं0 362 रकबा 0.60 है0 की किस्म चरागाह से बारानी दर्ज कर भन्ती देवी पत्नि पप्पूलाल हिस्सा पूर्ण जाति माली खातेदार का नामान्तकरण तस्दीक किया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कि[illegible] कर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर [illegible] मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:07:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी**
**मु0नं0 09/25 उनवान रामजीलाल व अन्य बनाम भन्ती देवी व अन्य**

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि ग्राम बाटोदा तहसील बामनवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 167 मे से साढे पांच बीधा भूमि राधेश्याम पुत्र भूरा जाति नाई निवासी बाटोदा को दिनांक 15–7–1965 को आवंटित हुई जिसका साबिक राजस्व रिकार्ड मे साबिक ख० नम्बर 167/558 रकवा 5 बीधा 10 विस्वा (साढे पांच बीधा) राधेश्याम पुत्र भूरा नाई के नाम दर्ज हुआ। अलोटमेन्ट के समय से ही राधेश्याम नाई उक्त साढे पांच बीधा भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार रहा है। सेटिलमेन्ट विभाग की कार्यवाही के पश्चात् उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 360 रकवा 0.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 362 रकवा 0.60 हेक्टर पर बने है। इस भूमि साढे पांच बीधा को राधेश्याम नाई ने दिनांक 13–6–1995 को वादीगण रामजीलाल, श्यामलाल व मोडू पुत्रगण रामफूल को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। इनमे से भूमि खसरा नम्बर 360 रकवा 0.88 हेक्टर को राधेश्याम नाई ने वादीगण रामजीलाल, श्यामलाल एंव मोडू को नकद 51,000/–रूपये मे विक्रय कर दिनांक 13–6–1995 को ही विक्रय का पंजीयन उपपंजीयक बामनवास के यहां करा दिया तथा यह भूमि खसरा नम्बर 360 रकवा 0.88 हेक्टर राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम दर्ज हो गई । दिनांक 13–6–1995 को ही राधेश्याम नाई ने भूमि खसरा नम्बर 362 रकवा 0.60 हेक्टर बियालीस हजार रूपये में वादीगण रामजीलाल, श्यामलाल व मोडू पुत्रगण रामफूल को विक्रय कर भूमि पर कब्जा वादीगण का करा दिया। परन्तु भूमि खसरा नम्बर 362 रकवा 0.60 हेक्टर राजस्व रिकार्ड में गलती से प्रतिवादी संख्या एक काना पुत्र बंशी माली के नाम दर्ज हो जाने के कारण भूमि खसरा नम्बर 362 के विक्रय का पंजीयन वादीगण के नाम नहीं कराया जा सका। राधेश्याम नाई ने दिनांक 15–6–1995 को इकरार नामा विक्रय–पत्र पांच रूपये के स्टाम्प पर श्री मदनेश कुमार शर्मा अध्यापक की कलमी उक्त तथ्यो के सम्बन्ध मे लिखवाया एंव राधेश्याम नाई एंव उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या तीन गोपाल ने इकरार किया कि "हमने उक्त साढे पांच बीधा भूमि वादीगण रामजीलाल, श्यामलाल एंव मोडू पुत्रगण रामफूल मीना को विक्रय कर दी है। जिसमे से भूमि खसरा नम्बर 360 रकवा 0.88 हेक्टर की रजिस्ट्री दिनांक 13–6–95 को करा दी है तथा खसरा नम्बर 362 रकवा 0.60 हेक्टर के विक्रय की रजिस्ट्री कराना शेष है क्योकि खसरा नम्बर 362 गलती से काना पुत्र बंशी माली के नाम लग गया है तथा जिसका केस राधेश्याम नाई ने ए.सी.एम. साहब गंगापुर सिटी मे कर रखा है तथा उस केस में काना पुत्र वंशी माली ने राधेश्याम नाई के हक में बयान भी कर दिए है तथा इसका फैसला हक मे होते ही मै इसकी रजिस्ट्री मोडू, श्यामलाल, रामजीलाल पुत्रगण रामफूल के नाम करवा दूंगा तथा राधेश्याम नाई व गोपाल ने यह भी इकरार किया कि उन्होने इस जमीन के बियालीस हजार रूपये नकद प्राप्त कर लिये है।" उक्त लिखावट इकरार नामा दिनांक 15–6–1995 को बनवारीलाल सोनी के मकान में लिखवाई गई जिस पर राधेश्याम नाई एवं उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 गोपाल ने अपने हस्ताक्षर किए तथा गवाह के नाते बनवारी सुनार ने हस्ताक्षर एंव सागर नाथ ने अंगूठा निशानी की एंव लिखिया मदनेश कुमार शर्मा अध्यापक ने अपने हस्ताक्षर किए है। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 362 रकवा 0.60 हेक्टर के वादीगण दिनांक 13–6–1995 से काबिज खातेदार काश्तकार हो [illegible] आ रहे है। दिनांक 28–5–2014 को प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमति भन्ती देवी अपने परिजनो के साथ वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 362 पर आई एंव वादीगण से भूमि पर से कब्जा हटाने को कहा तब बताया कि प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:07:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
## मु0नं0 09/25 उनवान रामजीलाल व अन्य बनाम भन्ती देवी व अन्य

भन्तीदेवी ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या । काना से भूमि खसरा नम्बर 362 रकवा 0.60 हेक्टर का पंजीयन दिनांक 8–5–2014 को स्वंय के नाम करवा लिया है। काना ने वादीगण व अन्य लोगो के समक्ष स्वीकार किया कि उसने भूमि खसरा नम्बर 362 पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमति भन्ती देवी को नही संभलाया है क्योकि स्वंय उसका कब्जा भी भूमि पर नहीं है। प्रतिवादी संख्या एक काना ने यह भी स्वीकार किया कि सन् 1995 से भूमि खसरा नम्बर 362 पर वादीगण का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 362 अपीलान्टान के कब्जे काश्त की है तथा इसके सम्बन्ध मे नियमित दावा अपर जिला जजी गंगापुर सिटी में विचाराधीन चल रहा है। भूमि खसरा नम्बर 362 के सम्बन्ध मे खोले गये उक्त नामान्तकरण से अपीलान्टान के हित प्रभावित होते है एंव अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 1504 दिनांक 09.06.2023 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के अपील सं0 221/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2021 के अनुसरण में खोला गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नं0 2 गंगापुर सिटी के मु0नं0 75/21 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2024 व न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर सिटी के विविध सिविल प्रकरण सं0 28/2014 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2014 की प्रति प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि जिस विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1995 का अंकन अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में अंकित किया है। सिविल न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1995 पर प्रदर्श डालने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सिविल न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.10.2014 द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर नामान्तकरण सं0 1504 दिनांक 09.06.2023 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि दिनांक 13.06.1995 को ही राधेश्याम नाई ने भूमि ख0नं0 362 रकबा 0. 60 है0 बियालीस हजार रूपये में वादीगण रामजीलाल ,श्यामलाल व मोडू पुत्रगण रामफूल को विक्रय कर भूमि पर कब्जा वादीगण का करा देना अंकित किया है तथा रेस्पोडेन्ट ने धारा 5 कानून मियाद अधिनियम में प्रस्तुत जबाब में अंकित किया है कि उक्त भूमि प्रत्यर्थी सं0 1 की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि है जिसका [illegible] संख्या 1504 दिनांक 09.06.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में विधि सम्मत तरीके से खोला गया है तथा अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि उक्त नामान्तकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन दावे के मध्य खोला गया हैं। उक्त क्रम में अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:07:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हो सके सिविल न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के सबंध में स्थगन आदेश पारित किया गया हो। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया है। उक्त विवादित नामान्तकरण सं0 1504 दर्ज दिनांक 09.06.2023 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के अपीलीय न्यायालय माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के आदेशानुसार अपील सं0 221/2020 के निर्णय दिनांक 10.02.2021 की पालना में व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी सं0 3092/2021 की पालना व तहसील कार्यालय बरनाला के कमांक/एलआर/23/634 दिनांक 02.06.2023 की पालना में तस्दीक किया जाना पाया गया हैं। ऐसी स्थिती में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/बहस के अनुसार अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को न तो क्षेत्राधिकार प्राप्त है एवं न ही उक्त नामान्तकरण सं0 1504 दर्ज दिनांक 09.06.2023 में किसी प्रकार की त्रुटि व अनियमितता होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 1504 दर्ज दिनांक 09.06.2023 तस्दीक दिनांक 12.06.2023 ग्राम बाटोदा यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:07:23 IST
Reason: SelfAttested